



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112025-268027
CG-DL-E-27112025-268027

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5274]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 27, 2025/अग्रहायण 6, 1947

No. 5274]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 2025/AGRAHAYANA 6, 1947

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(वित्तीय बाजार प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2025

का.आ. 5455(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 4 की उप-धारा 1 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 147 (अ) दिनांक 21 फरवरी, 1992 में आगे और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, क्रमांक 3 और उससे संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :

"शिरीष चंद्र मुर्मु सदस्य"

डिप्टी गवर्नर,

भारतीय रिजर्व बैंक।

[फा. सं. 2/6/2020-आर.ई.]

सोलोमन अरोकियाराज, अपर सचिव

पाद टिप्पणी: मूल अधिसूचना दिनांक 21.2.92 के का.आ. 147 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी तथा उसमें का.आ. 821(अ) दिनांक 05.11.1992, का.आ. 483(अ) दिनांक 05.07.1993, का.आ. 632(अ) दिनांक 12.07.1995, का.आ. 450 (अ) दिनांक 21.06.1996, का.आ. 704(अ) दिनांक 25.07.2001, का.आ. 736(अ) दिनांक 26.06.2003, का.आ. 1808 (अ) दिनांक 26.12.2005, का.आ. 1200(अ) दिनांक 12.05.2009, का.आ. 388(अ) दिनांक 11.02.2011, का.आ. 1533(अ) दिनांक 16.06.2014 और का.आ. 2797(अ) दिनांक 23.08.2016 और का. आ.4796(अ) दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 की अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(FINANCIAL MARKET DIVISION)
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2025

S.O. 5455(E).— In exercise of the power conferred by clause (c) of Sub-Section 1 of Section 4 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, number S.O. 147(E) dated 21st February, 1992 namely: -

In the said Notification, against serial number 3, for the existing entry, the following shall be substituted, namely: -

“Shirish Chandra Murmu Member”

Deputy Governor,

Reserve Bank of India.

[F. No. 2/6/2020-RE]

SOLOMON AROKIJARAJ, Addl. Secy.

Foot Note: The Principal Notification was published vide S.O. 147(E) dated 21.02.1992 and amended vide Notification no. S.O. 821(E) dated 05.11.1992, S.O. 483(E) dated 05.07.1993, S.O. 632(E) dated 12.07.1995, S.O. 450(E) dated 21.06.1996, S.O. 704(E) dated 25.07.2001, S.O. 736(E) dated 26.06.2003, S.O. 1808(E) dated 26.12.2005, S.O. 1200(E) dated 12.05.2009, S.O. 388(E) dated 11.02.2011, S.O. 1533(E) dated 16.06.2014, S.O. 2797(E) dated 23.08.2016 and S.O. 4796(E) dated 31.12.2020.